कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com **Phone/Fax-0135-2767611**

संख्याः–2728 **FP/UK/ROAD/14661/2015** देहरादूनः दिनांक 25 जून, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय,
(उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद–टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिंलगना में घनसाालीे–घुत्तू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.245 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **FP/UK/ ROAD/14661/2015**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS-8**बी. /यू.सी.पी./06/24/2018/एफ.सी./1593 दिनांक 11–10–2019

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के क्रम में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का आरम्भिक बिन्दु घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के किमी0 02 व अन्तिम बिन्दु घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 03 पर अवस्थित है। पूर्व में प्रस्तावित मोटर मार्ग की KML file में त्रुटि होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह मार्ग मिलान से पूर्व ही Intersect कर रहा है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है, यह मार्ग आरम्भिक व अंतिम बिन्दु से पूर्व किसी भी स्थान पर उक्त दोनों मोटर मार्गों में से किसी को भी Intersect नहीं कर रहा है। स्थिति स्पष्ट करने हेतु KML file संशोधित कर आनलाईन पोर्टल में यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।

उपरोक्त आपत्ति के निराकरण/वास्तविकता के मध्यनजर प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी द्वारा इस क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा पाया कि ''प्रस्तावित मोटर मार्ग का समरेखण किसी भी स्थान पर (आरम्भिक बिन्दु घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के किमी0 02 व अन्तिम बिन्दु घनसाली–कोटी–अखोड़ी मोटर मार्ग के किमी0 3 तक) पूर्व निर्मित मोटर मार्ग का Intersect नहीं कर रहा है। जिस स्थल पर KML file में प्रस्तावित मोटर मार्ग का घनसाली–कोटी–अखोडी मोटर मार्ग को Intersect होना प्रतीत हो रहा है, उस स्थान से प्रस्तावित मोटर मार्ग की दूरी पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से लगभग 14 से 15 मी0 निचली तरफ है।''

साथ ही प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग एवं पुल के निर्माण का उद्देश्य किसी बसावट को जोडने हेतु नहीं है, अपितु घनसाली में यातायात एवं अन्य समय में वाहनों की अत्यधिक आवागमन से उत्पन्न दबाव के कारण Traffic Jam की स्थिति से बचाव के लिए बाईपास मोटर मार्ग के रूप में है। घनसाली मुख्य चौराहे में पूर्व निर्मित मोटर मार्ग की चौडाई कम है तथा इस स्थल पर मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना सम्भव नहीं है। मार्ग संकरा होने के कारण Traffic Jam से घनसाली नगर में अव्यवस्था बनी रहती है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार की स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

25/6/20

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी